Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

आरोपी कपिल को आर्म्स एक्ट में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 04 माह 06 दिन के कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2026 में अभियुक्त कपिल पुत्र महेश पाल निवासी ग्राम सरूरपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के विरूद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 177/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 24.07.2026 को मा0 न्यायालय सी.जे.(एस.डी.) एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त कपिल को दोषी पाते हुए 04 माह 06 दिन के कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

आरोपी रोहित उर्फ बोना को आर्म्स एक्ट में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 14 माह 18 दिन के कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2025 में अभियुक्त रोहित उर्फ बोना पुत्र रधेश निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के विरूद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 248/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 24.07.2026 को मा0 न्यायालय सी.जे.(एस.डी.) एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त रोहित उर्फ बोना को दोषी पाते हुए 14 माह 18 दिन के कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में चोरी की घटना कारित करने के आरोपी हिमांशु को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 18 माह 13 दिन का कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त हिमांशु पुत्र राजेन्द्र निवासी न्यु रामनगर कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा वादी की बाइक व मोबाइल फोन चोरी करने की घटना कारित की गयी थीं जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 676/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 24.07.2026 को मा0 न्यायालय सीजे(एसडी)एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त हिमांशु को दोषी पाते हुए 18 माह 13 दिन के कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में चोरी की घटना कारित करने के आरोपी विवेक को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 13 माह का कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त विवेक पुत्र गजेन्द्र निवासी ग्राम खट्टा प्रहलादपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत द्वारा वादी के 03 मोबाइल फोन चोरी करने की घटना कारित की गयी थीं जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 349/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 24.07.2026 को मा0 न्यायालय सीजे(एसडी)एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त विवेक को दोषी पाते हुए 13 माह के कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में चोरी की घटना कारित करने के आरोपी रोजूद्दीन उर्फ रोजू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 09 माह का कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त रोजूद्दीन उर्फ रोजू पुत्र रहीसू निवासी ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा वादी की बाइक चोरी करने की घटना कारित की गयी थीं जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 620/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 24.07.2026 को मा0 न्यायालय सीजे(एसडी)एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त रोजूद्दीन उर्फ रोजू को दोषी पाते हुए 09 माह के कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में चोरी की घटना कारित करने के आरोपी बिलाल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 01 वर्ष 11 माह 10 दिन का कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त बिलाल पुत्र इरशाद निवासी विजयनगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वादी की बाइक चोरी करने की घटना कारित की गयी थीं जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 692/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 24.07.2026 को मा0 न्यायालय सीजे(एसडी)एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त बिलाल को दोषी पाते हुए 01 वर्ष 11 माह 10 दिन के कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में चोरी की घटना कारित करने के आरोपी विजय को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 10 माह 06 दिन का कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त विजय पुत्र विश्वनाथ निवासी निशान्त कालोनी पुस्ता चौकी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद द्वारा वादी का ई-रिक्शा व मोबाइल फोन चोरी करने की घटना कारित की गयी थीं जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 544/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 24.07.2026 को मा0 न्यायालय सीजे(एसडी)एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त विजय को दोषी पाते हुए 10 माह 06 दिन के कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट दिनांक 29.07.2026

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 241/26 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट में वाँछित 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था) में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर, 01 जिंदा एवं 02 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.07.2026 को थाना दोघट क्षेत्रान्तर्गत ग्राम फौलादनगर में प्रतिबंधित पशु कटान के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल थाना दोघट पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो एक मकान के अंदर प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिले। विशेषज्ञों की टीम द्वारा मौके से अवशेषों को एकत्रित कर आवश्यक परीक्षण हेतु भेजा गया। मौके पर मिली एक महिला अभियुक्ता से महिला पुलिस द्वारा पूछताछ की गई, जिसमें अन्य परिवारीजनों की संलिप्तता प्रकाश में आई। जिसके आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 241/2026 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम एवं धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दोघट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 241/2026 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम एवं धारा

4/25 आर्म्स एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के उपरांत घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 28.07.2026 को थाना दोघट पुलिस को मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मेरठ-करनाल हाईवे के किनारे वन क्षेत्र (सरौरा वनी) में छिपा हुआ है तथा कहीं जाने की फिराक में है। सूचना पर थाना दोघट पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया, जिस पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त घायल हो गया, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर, 01 जिंदा एवं 02 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद किए गए हैं। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.जावेद पुत्र भूरा निवासी ग्राम फौलादनगर थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 35 वर्ष। (घायल अवस्था में)

बरामदगी का विवरण—

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष श्री केवल सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
3-उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।
4-उ0नि0 श्री दिव्य कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।
5-है0का0 301 जितेन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।
6-है0का0 877 अनिल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।
7-है0का0 911 रियाज खान थाना दोघट जनपद बागपत।
8-का0 73 रविन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना खेकडा **दिनाँक 29.07.2026**

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 154/26 धारा 191(2),191(3),190,118(1),109(1),352,351(3),333 बीएनएस में वाछिंत 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लोहे की रॉड बरामद ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 16.05.2026 को थाना खेकडा पर वादी तस्लीम उर्फ टीपू पुत्र सराजू निवासी नूरबाग मैरिज होम के पास, नगर पंचायत रटौल, थाना खेकड़ा, जनपद बागपत ने लिखित शिकायत दी कि अभियुक्तगण 1. भूरा 2. दिलशाद 3. जूल्ला 4. इंतजार पुत्रगण नवाब 5.दानिश पुत्र इंतजार 6. दिलशाद का साढू इरशाद पुत्र नामालूम 7. मुज्जमिल पुत्र इस्माइल 8. मुस्कान पुत्री दिलशाद व अन्य नि0गण रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा एक राय होकर धारधार हथियार से घर में घुसकर वादी के पुत्र अनस के साथ जान से मारने नियत की नीयत से मारपीट की गई जिससे अनस गम्भीर रुप से घायल हो गया व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी व मुस्कान द्वारा वादी की बहु बेटियो को गाली गलौच की गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 154/26 धारा 191(2),191(3),190,109(1),352,351(3),333 बीएनएस पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना धारा 118(1) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 154/26

धारा 191(2),191(3),190,118(1),109(1),352,351(3),333 बीएनएस में वाछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक रॉड बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.भूरा उर्फ इन्तजार पुत्र नवाब अली निवासी वार्ड नं0 9मौहल्ला राजनगर कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत

2.दानिश पुत्र भूरा उर्फ इन्तजार निवासी वार्ड नं0 9मौहल्ला राजनगर कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत

अभियुक्तों भूरा उर्फ इन्तजार व दानिश का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 96/26 धारा 115(2), 131, 190, 191(2), 191(3), 333 बीएनएस थाना खेकडा
2. मु0अ0सं0 154/26 धारा 191(2),191(3),190,118(1),109(1),352,351(3),333 बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सुजित कुमार थाना खेकडा जिला बागपत।
2. है0का0 08 मुकेश कुमार निशान्त शर्मा थाना खेकडा जिला बागपत।
3. रि0का0 416 बादल थाना खेकडा जिला बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट दिनाँक-29.07.2026

थाना दोघट पुलिस ने 01 अभियुक्ता को घर के अन्दर गौकशी करते हुए किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से प्रतिबन्धित पशु का मांस (कटे हुए टुकडो में) वजन लगभग 75 कि0ग्रा0, गौकशी में प्रयुक्त उपकरण 03 छुरी, एक रस्सी, एक लकडी का गुटका व एक तराजू, एक 05 कि0ग्रा0 का बाट व एक बंडल पॉलीथिन बरामद ।

कार्यवाही-

दिनांक 28.07.2026 को थाना दोघट क्षेत्रान्तर्गत ग्राम फौलादनगर में प्रतिबंधित पशु कटान के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल थाना दोघट पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो एक मकान के अंदर प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिले। विशेषज्ञों की टीम द्वारा मौके से अवशेषों को एकत्रित कर आवश्यक परीक्षण हेतु भेजा गया। मौके पर मिली एक महिला अभियुक्ता से महिला पुलिस द्वारा पूछताछ की गई, जिसमें अन्य परिवारीजनों की संलिप्तता प्रकाश में आई। जिसके आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 241/2026 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम एवं धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0- 241/2026 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम एवं धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में वांछित 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है। जिसके

कब्जे से प्रतिबन्धित पशु का मांस (कटे हुए टुकडो में) वजन लगभग 75 कि0ग्रा0, गौकशी में प्रयुक्त उपकरण 03 छुरी, एक रस्सी, एक लकडी का गुटका व एक तराजू, एक 05 कि0ग्रा0 का बाट व एक बंडल पॉलीथिन बरामद हुई है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना दोघट पुलिस द्वारा दिनांक 29-07-2026 की रात्रि में अभियुक्त जावेद पुत्र भूरा को बाद पुलिस मुठभेड घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

एक महिला

बरामदगी का विवरण-

- प्रतिबन्धित पशु का मांस (कटे हुए टुकडो में) वजन लगभग 75 कि0ग्रा0,
- गौकशी में प्रयुक्त उपकरण 03 छुरी, एक रस्सी, एक लकडी का गुटका
- एक तराजू, एक 05 कि0ग्रा0 का बाट व एक बंडल पॉलीथिन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।

2-है0का0 239 विपिन कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

3-है0का0 877 अनिल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

4.है0का0 301 जितेन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

5. रि0का0 360 मोहित कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

6. रि0का0 273 ओमवीर सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।

7. म0का0 103 पायल थाना दोघट जनपद बागपत।

8. म0रि0का0 637 पारुल थाना दोघट जनपद बागपत

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत- दिनाँक 29.07.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 121/2025 धारा 420/467/468/471/120B IPC में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 01.03.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री समयदिन पुत्र सुक्कम निवासी ग्राम बाबली थाना बडौत बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.सुरेन्द्र पुत्र पूरन सिंह उम्र करीब 56 वर्ष, 2. मोमीन पुत्र असगर उम्र् करीब 29 वर्ष, 3. इकराम पुत्र सरीफ उम्र करीब 42 वर्ष निवासीगण ग्राम गौरीपुर जवाहरनगर थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत व दो अन्य अभियुक्तों द्वारा धोखाधडी कर प्लाट की बैनामी कराने के नाम पर 4,41000 रू लेना तथा पैसा मागने पर वापस न करना । इस सम्बन्ध में प्राप्त पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 121/2025 धारा 420/467/468/471/120B IPC विरूद्व पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 121/2025 धारा 420/467/468/471/120B IPC में वाछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में पूर्व में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.सुरेन्द्र पुत्र पूरन सिंह उम्र करीब 56 वर्ष निवासी ग्राम गौरीपुर जवाहरनगर थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत

2. मोमीन पुत्र असगर उम्र् करीब 29 वर्ष निवासी ग्राम गौरीपुर जवाहरनगर थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत

3. इकराम पुत्र सरीफ उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम गौरीपुर जवाहरनगर थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अंकित कुन्तल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

2- का0 443 रामेन्द्र आजाद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

3-है0गा0 154 मनोज कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत-　　　　दिनाँक 29.07.26

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 472/26 धारा 115(2)/351(2)/352/64(1)/123 बी0एन0एस0 व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 472/26 धारा 115(2)/351(2)/352/64(1)/123 बी0एन0एस0 व 3/4 पोक्सो एक्ट में वाछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सावेज पुत्र शौकीन उम्र करीब 23 वर्ष निवासी मौ0 कैतीपुरा थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

2- है0का0 652 मोहित कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

3-है0का0 151 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत